

मारवाड़ की काष्ठ कला : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

डॉ मधु कुमावत

सहायक आचार्य इतिहास

श्री रंकपा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किशनगढ़

madhukumawat289@gmail.com

सारांश:- काष्ठ कला का मारवाड़ के साथ ही भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कुल्हाड़ी, खिलौने, बर्तन, सजावटी सामान, गहने और कई सजावटी घरेलू सामान जैसे लैंप शेड, मोमबत्ती स्टैंड, सिंदूर के बक्से, गहनों के बक्से, चूड़ी होल्डर आदि कुछ ऐसे सामान्य लकड़ी के शिल्प हैं जो लगभग हर भारतीय घर में उपयोग में आते हैं। 17 वी 18 वी सदी के दौरान मारवाड़ में काष्ठ कला का महत्वपूर्ण स्थान था। मारवाड़ राज्य में सोजत काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध था। इसके अलावा जोधपुर और नागौर भी काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध थे। काष्ठ कला में खाती जाति के लोग संलग्न थे। ये मारवाड़ के प्रत्येक गाँव और कस्बों में रहते थे। उस समय कारीगरों द्वारा लकड़ी के टुकड़ों को आकार देकर विभिन्न सामान बनाए जाते थे। जिन्हें खाती कहा जाता था। खाती लकड़ी के सामान जैसे खिलौने, दैनिक उपयोग के साजो सामान, खिड़कियाँ, दरवाजे के चौखटे, गाड़ी, रथ, नावें, पालकी और कृषि के उपकरण बनाने के कार्य से सम्बंधित थे।

संकेताक्षर:- काष्ठ, मारवाड़, घरेलू, लकड़ी, भारतीय, जाति, संस्कृति, शिल्प, खाती।

प्रस्तावना -

मारवाड़ राज्य राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित था जिसे संस्कृत शिलालेखों एवं ग्रंथों में मरु, मरुस्थल, मरुदेश, मरुमंडल आदि नामों से पुकारा जाता है। इसका अर्थ होता है रेगिस्तान या निर्जल देश।¹ मारवाड़ शब्द में दो शब्दों का संयोग है "मार" अर्थात् मरु(रेगिस्तान) और "वाड़" का अर्थ "रक्षक" है इस प्रकार मारवाड़ का अर्थ है "रेगिस्तान से रक्षित प्रदेश।² जब से राव जोधा ने 12 मई 1459 में जोधपुर नगर बसाया और जोधपुर के किले का निर्माण करवाया तब से यह जोधपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मारवाड़ शब्द मरुवार शब्द का अपभ्रंश है जिसको प्राचीन काल में मरुस्थान भी कहते थे। मरुस्थान शब्द का वास्तविक अर्थ मृत्यु का स्थान है एवं इस क्षेत्र में जल की कमी



के कारण इसे "जीव - हन्ता" कहा जाता है।³ सम्भवतः ऋग्वेद में उल्लेखित "मरु" शब्द इसी प्रदेश का घोटक है।⁴ क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ सम्पूर्ण भारत में हैदराबाद (निजाम) और जम्मू कश्मीर रियासत के बाद आता था।⁵ अबुल फजल ने आईने अकबरी में इसका वर्णन किया है - " मारवाड़ राज्य 100 कोस लम्बा और 60 कोस चौड़ा है। अजमेर, जोधपुर, सिरोही, नागौर और बीकानेर इसके मातहत में है। इस राज्य में बहुत से किले हैं जिनमें अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उमरकोट और जालौर बड़े प्रसिद्ध हैं।"⁶

अध्ययन का उद्देश्य-

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य काष्ठ कला में संलग्न दस्तकार का आर्थिक-सामाजिक अध्ययन करना है।

सामग्री और क्रियाविधि-

प्रस्तावित शोधपत्र की अध्ययन विधि मुख्य रूप से व्याख्यात्मक एवं विवेचनात्मक हैं। इसमें बहियों, पुस्तकों, संग्रहालयों में उपलब्ध अभिलेखों, परम्परागत व्यवसाय में लगे हुए दस्तकारों से साक्षात्कार आदि का आश्रय लिया गया।

मारवाड़ राज्य में या तत्कालीन समय में वर्ग, जाति व समाज को अपने कार्य विशेष से पहचाना जाता था, जैसे सोने-चाँदी व रत्न जडित आभूषण का कार्य करने वाले- सुनार या सोनी, शराब बनाने से जुड़े लोगो को- कलाल, लकड़ी के कार्यों जैसे लकड़ी के पहिये, खिलों, रथ, घरों के किवाड़, खिड़कियाँ आदि कार्य को करने वाले को - खाती, चमड़े के कार्य करने वालों को- चमार, जूते-चप्पल व चमड़े की विभिन्न वस्तुओं व सामग्री निर्माण करने वालों को रेगर या मोची, कच्चे लोहे को पिघलाकर कृषि के औजार व युद्ध में प्रयोग आने वाले हथियार, छुरी, काटें, घरों में प्रयोग आने वाले बर्तन ताले, चाबी आदि बनाने वालों को - लुहार, रेशमी डोरी व धागा बनाने वालों को - पटवा, रुई व गद्दे आदि बनाने से जुड़े व्यक्तियों को -पिंजारा, सूत काट कर कपड़ा बनाने वालों को - जुलाहे, कपड़ों की रंगाई छपाई का काम करने वालों को छिपा कहा जाता था। इन उद्योगों में विशेष वर्ग या जाति के लोग परम्परागत रूप से ही पारंगत व दक्ष हो जाते थे। इन लोगों के वंशानुगत उदाहरण हमें तत्कालीन समय के अभिलेखीय सामग्री में मिल जाते हैं।

मुहणोत नैणसी ने अपनी ख्यात में मारवाड़ में 36 प्रकार के शिल्पकारों का उल्लेख किया है जो विभिन्न व्यवसायों से अपनी जीविका चलाते थे। उद्योग एवं व्यवसाय में संलग्न इस दस्तकार वर्ग



में लुहार, सुनार, बलाई, चमार, पटवा, छीपा, रंगरेज, लखेरा, चूड़ीगर, ठठेरा, जुलाहा, पिंजारा, सोरगर, गंधी, तेली, कलाल, कुम्हार, दरजी आदि जातियां सम्मिलित थी। मुहणोत नैणसी ने इन्हें 36 पावन जातियां कहा है।⁷

मरदुम शुमारी राज मारवाड़ से हमें पता चलता है कि खाती शब्द काष्ठी से बना है जिस के मायने काष्ठ यानि लकड़ी का काम करने वाले के हैं और सुथार सूत्रधार का अपभ्रंश हैं क्योंकि संस्कृत में खाती और सिलावट का नाम सूत्रधार है जो सूत से नाप कर काम करते हैं। मारवाड़ में इनके लिये एक कहावत प्रसिद्ध है -

“ जो खाती हल न बनावे तो नाज कहां से आवे
चक्की में गाला न लगावे तो आटा क्यों कर पिसे
खाट न बनावे तो जमीं पर ही सोना पड़े।”

खाती मारवाड़ के लगभग प्रत्येक गाँव और कस्बों में रहते थे।⁸

वेदों से प्रमाणित होता है कि शिल्पकारों का आदि गुरु भगवान विश्वकर्मा हैं। खाती, कुम्हार, लुहार आदि जातियां अपने को विश्वकर्मा की संतान मानते हैं। इसलिए विश्वकर्मा के पंच पुत्रों में उक्त जातियों के शिल्पकारों को ही मान्यता प्राप्त है। वैसे भारत के लोग ऋषियों की संतान कहलाती हैं। ऋषियों के नामों से ही सब जातियों के गौत्र जुड़े हुए हैं और इनको लोक एवं शास्त्र से मान्यता मिली हुई है।

काष्ठ कला के आचार्य अपने को अंगिरा ऋषि की संतान मानते हैं।

काष्ठ-कला के कारीगरों की जातियां भारत में अलग अलग राज्यों व क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जानी जाती हैं जैसे खाती, बढई, सुथार, तिरखान आदि। शेखावाटी जनपद में इनको जांगिड़ (खाती) कहा जाता है।⁹

आदि काल में मनुष्य अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति समझ के साथ करने लगा था। उनके बौद्धिक विकास में गति के साथ प्रगति हो रही थी। प्राचीन शिल्पकारों ने दैनिक उपयोग की वस्तुओं में कठड़ा, ऊखली, मूसल, डोया, लकड़ी की टहनियों से बना दरवाजा, कंधारिका, खण्डनिका पिष्टप्य, रक्षा के लिए धनुष, कमान, तीर तथा नदी पार करने के लिए नाव बनाने लगे थे। धीरे धीरे कृषि के काम आने वाले हल, कुल्हाड़ी, कसिया, रांपी, दरांती आदि बनाये जाने लगे।



कृषि युग में मानव के विकास चरण बढ़ते ही गए। समाज-व्यवस्था के नियम बने तथा मनुष्य का जीवन उन्नत हुआ। पहिए के आविष्कार से आवागमन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। काष्ठकला के आचार्यों ने लकड़ी के गोल पहिये को वृत्त के चार या छे चापों को जोड़ कर केन्द्र बिन्दु से उतने ही आरे जोड़ कर तैयार किया जिससे पालकी के स्थान पर रथ, गाड़ी आदि बनाये जाने लगे। जंगल काट कर चौड़े मार्ग बनाये गए जिससे दूरियां निकट हुई तथा अनेक कलाओं एवं यंत्रों का आविष्कार हुआ और मानव के कदम बढ़ते गए।

काष्ठ कला का भी क्रमशः विकास होता गया। सुख सुविधाओं के अनेक साधन बने। काष्ठ कला के कारीगरों ने पीठासन, पीढ़ा, चारपाई, तख्त, सिंहासन, दरवाजे, पाटे, शहतीर, मंजूषा, मकानों की सम्पूर्ण छत और नीचे की लकड़ी की मठोट आदि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाने लगी।

आदि काल में मनुष्य अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति समझ के साथ करने लगा था। प्राचीन शिल्पकारों ने दैनिक उपयोग की वस्तुओं में कठडा, ऊखली, मूसल, डोया, लकड़ी की टहनियों से बना दरवाजा, कंधारिका, रक्षा के लिये धनुष, कमान, तीर तथा नदी पार करने के लिये नाव बनाने लगे थे। धीरे धीरे कृषि के काम आने वाले हल, कुल्हाड़ी, कसिया, रांपी, दरान्ती आदि बनाये जाने लगे। कृषि युग में मानव के विकास के साथ मनुष्य का जीवन उन्नत हुआ।

पहिये के आविष्कार से आवागमन में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया। काष्ठ कला का भी धीरे धीरे विकास होता गया। मारवाड़ क्षेत्र में मध्यकाल में अनेक किलों, गढ़ों व महलों का निर्माण हुआ। इन गढ़ों एवं भवनों में काष्ठ कला के अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं। किलों या गढ़ों के मुख्य दरवाजों व परकोटों के दरवाजे बड़े विशाल एवं मजबूत बने हुए हैं जिनकी कला की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। इस काल में चौखट, किंवाड, बड़े दरवाजे, संदुखे, पलंग, पाये, तख्ते, हटड़ी के किवाड़, चौकी, पेटियां, मंजूषा आदि बनाये जाते थे। काष्ठ कला के अंतर्गत खातियों द्वारा ठप्पा (BLOCK) बनाये जाते थे जो कि रंगों की सहायता से कपड़ों की शोभा बढ़ाते थे। ठप्पे चन्दन, शीशम, गुरजन, सागवान व रोयडा की लकड़ी से बनाये जाते थे।

काष्ठ कला के लिये सामानतयः निम्न औजारों का उपयोग किया जाता है -

बसूला- इसके दो भाग होते हैं - 1. दस्ता 2. लोहे का वह भाग जो लकड़ी को काटता है। काटने वाले सिरे पर स्टील की एक पट्टी लोहे में जड़ी जाती है। पीछे के भाग में गोल सुराख होता है



जिसमें बैसा (हेण्डल) उसके फेस साइड में फंसाया जाता है। बसूला लकड़ी को काटने व छीलने का काम करता है।

आरी- यह स्टील की पतली चद्दर (ब्लेड) से बनी होती है। इसका ऊपर का हिस्सा चौड़ा और नीचे का संकड़ा होता है। इसके धारदार दाँते बने होते हैं।

चौड़ाई वाले हिस्से की ओर हत्था लगा होता है। इससे बड़ी व छोटी लकड़ियों की चिराई की जाती है। यह दो प्रकार की होती है -1.सीधी रेखा में काटने वाली 2. गोलाई में काटने वाली।

गनिया - किसी भी सतह के वर्गाकार होने की परीक्षा करने तथा लकड़ी के जुड़े कोनों को समकोण पर है या नहीं, जांचने के लिए काम में लिया जाता है। इससे समतल धरातल की जाँच भी की जा सकती है।

रंदा - रंदे से लकड़ी की सतह को सीधी व साफ की जाती है। रंदे बड़े छोटे कई आकार के होते हैं। एक रंदे में तीन मुख्य चीजें होती हैं- 1. रंदे का लकड़ी का बना स्टॉक जिसकी लम्बाई चौड़ाई (बड़ा रंदा 14"x21/2") होती है। उसमें ब्लेड तथा कवर और फन्नी के लिए गट्ठा होता है जिसके द्वारा छीलन बाहर निकलती है। लकड़ी के स्टॉक में एक हत्था लगा रहता है जिसे पकड़ कर रंदे को चलाया जाता है। 2. लकड़ी को छीलने वाले भाग को ब्लेड कहते हैं जो स्टील की बनी होती है। उसमें ढलवां धरातल 25° पर सान लगाना और धार का एंगिल 30° पर बनाया जाता है। यह 2" चौड़ी होती है। 3. इस ब्लेड में एक कवर (लोहा पेच) द्वारा ब्लेड को काटने वाले किनारे से थोड़ा ऊपर की ओर फंसा कर कस दिया जाता है जिससे छीलते समय लकड़ी की छीलन न फंसे और लकड़ी पर गड्डे न पड़े। इस प्रकार रंदे कई प्रकार के होते हैं जैसे लकड़ी को समतल बनाने वाला, गोलाई में छीलने वाला, कार्निंस या गोला, गलता बनाने वाला आदि।

पटासी (रूरवानी) - इसके तीन भाग होते हैं। 1. हत्था जो लकड़ी का बना होता है। 2. हत्थे के नीचे के भाग में लोहे या पीतल का पोला जड़ा होता है जिसमें फल का तीखा भाग लगा होता है। 3. ब्लेड (फल) यह कास्ट स्टील का बना होता है जो 1/2" या 1" चौड़ा होता है। यह लकड़ी के चौरस आयताकार छेद को सीधा करने के लिए काम में ली जाती है और अन्य छोटे छोटे कार्य किए जाते हैं।

मुंगरी - यह एक प्रकार का लकड़ी का बना हथोड़ा होता है। पटासी से लकड़ी के जोड़ों को विठाते समय या खोलते समय इसकी चोट लगाते हैं। यह शीशम या बबूल की लकड़ी का बनाया जाता है।



रेती- रेती से लकड़ी को आवश्यकतानुसार रगड़ कर सच्ची सीधी की जाती है। रेती 6" से 12" तक लम्बी होती है। इसका पिछला हिस्सा तीखा होता है जो लकड़ी के हत्थे में फंसा होता है। रेती का मुख्य भाग लोहे या स्टील का होता है जिस पर दांते होते हैं। रेती को दाहिने हाथ से पकड़ कर और बाएं हाथ की अंगुलियां रेती के अग्रभाग पर रखकर आगे की ओर दबाकर चलाने से लकड़ी घिसी जाती है। रेतियां कई प्रकार की होती हैं जैसे चपटी रेती, तिकोरा, गोल, आधी गोल आदि।

इनके आलावा अन्य औजार थे -गज या दो फुटा, हथोड़ा (साधारण), पंजेदार हथोड़ा, पेच कस, नेल पंच, स्यारिया, कमानी, बड़ा भारी हथोड़ा, जम्बूरा, हाथ का वर्मा, बेंच वाइस, नूया, मार्किंग गेज, लाइन खींचने का चाकू, कटनी, लोहे के रंदे, पहलदार पटासी, कम्पास, ड्रिल मशीन, गिरमिट, शिकंजा, कटर, मोड़ू, धार लगाने की सिल्ली आदि।

वर्तमान में कारीगरों ने अपने पास आधुनिक मशीनें होती हैं जिसके द्वारा चीरने, काटने, होल करने, सफाई करने आदि सब काम कर लिए जाते हैं।

गांवों में खाती द्वारा जो वस्तुएं निर्मित की जाती थी, उनके बदले में उन्हें फसल तैयार होने पर कुछ निश्चित अनाज मिल जाता था। समकालीन अभिलेखागारिय स्त्रोतों से हमें पता चलता है कि खाती आम जनता के साथ साथ राजदरबार के लिये भी कार्य किया करते थे।¹⁰ परगना जालौर की कोतवाली- चबूतरा- जमाबंदी- बही संख्या 754 में हमें वर्णन मिलता है कि पाली के अमरा जिसने 10 दिन में सरकार के लिए दो जोड़ी झिलमिली बनाई थी, को 10 फडिया, एक फडिया प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी गई।¹¹ जोधपुर रिकार्ड्स में हमें कछारा नामक खाती का वर्णन मिलता है जिसने जालोर के मोती महल में 15 दिन के लिए लकड़ी का कार्य किया था एवं उसे 3/4 फडिया प्रतिदिन के हिसाब से 11 1/4 फडिया मजदूरी के रूप में प्राप्त हुए।¹² जोधपुर जिला अभिलेखागार की कोतवाली चबूतरा जमाबन्दी बही सं. 754 परगना जालौर में खतियों के कार्य, मजदूरी व इनकी जीवन दशा के बारे में विविधतापूर्ण चित्रण मिलता है। इनके द्वारा लकड़ी के दरवाजे, खिड़की, पलंग, मेजे, कुर्सी, झूले, गाड़ी, नाव, पालकी, और कृषि के उपकरण जैसे हल तथा कटाई व बुआई के उपकरण भी बनाये जाते थे।¹³

समकालीन स्त्रोतों से हमें पता चलता है कि इनके द्वारा पलंग, पालकियाँ, रथ, नावें, दरवाजे, खिड़कियाँ, कृषि के औजार, बग्घी एवं अन्य वस्तुएँ बनाई जाती थी। सनद परवाना बही संख्या 25 से हमें जानकारी मिलती है कि जोधपुर दरबार द्वारा सोजत से निम्नलिखित खिलौने मंगवाए गये।¹⁴



1. चकरियाँ - 100 (40 गटादार , 60 सादी)
2. जुनजुणिया - 60
3. चटपटा री जोड़ी - 25

सोजत कोतवाली चबूतरा जमाबंदी बही संख्या 1831 में खिलौने की किस्मे एवं उनके भावों का उल्लेख मिलता है जो इस प्रकार है -¹⁵

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	नग	कीमत
1.	चकरीयां (गट्टादार)	220	7 रूपए 3 आना
2.	चकरीयां (सादी)	140	4 रूपए
3.	जुनजुणियां	150	4 रूपए 10 आना
4.	चटपटरा री जोड़ी	55	1 रूपए 3 आना
5.	हथ बगु	15	1 रूपए 3 आना

लकड़ी के सामानों में दरवाजे की चौखटों और खिडकियों का उपयोग साधारण वर्ग से लेकर राजपरिवार तक होता था। इस कला विशेष वर्ग या जाति के लोग परम्परागत रूप से ही पारंगत व दक्ष हो जाते थे इन लोगों के वंशानुगत उदाहरण हमें तत्कालीन समय के अभिलेखीय स्त्रोंतों में मिल जाते हैं। पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सामान्यतः अपने पैतृक दस्तकारी व्यवसाय को अपना लेता था।

निष्कर्ष-

इस कला में प्रयुक्त उत्पादन पद्धति हस्तनिर्मित थी क्योंकि उस समय आधुनिक समय की तरह मशीनों का प्रयोग नहीं होता था न ही आधुनिक समय की तरह कारखाने होते थे इसीलिए दस्तकार वर्ग द्वारा हस्तनिर्मित औजारों द्वारा सरल व परम्परागत तरीके से वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। 17 वीं 18 वीं शताब्दी में जैसा कि समकालीन अभिलेखागारीय तथा अन्य स्त्रोंतों से हमें ज्ञात होता है कि मारवाड़ के शासकों द्वारा काष्ठ कला के विकास में पूर्ण रुचि ली गई थी। राज्य के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्माण के लिए राजकीय कारखाने स्थापित किये गए थे



जिनमें स्थानीय एवं बाहर से आमंत्रित अनेक दस्तकार उत्तम किस्म की वस्तुओं के निर्माण के लिए नियुक्त किये गए थे। अंत में यह निर्विवादरूप से स्वीकार किया जा सकता है कि मारवाड़ में काष्ठकला का प्रयोग आदि काल में प्रारम्भिक अवस्था में था तो ईसा की पांचवीं शताब्दी से सत्तरहवीं शताब्दी तक अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था। कारीगर अपने हाथ से औजार बनाते थे और बिना किसी यंत्र या मशीन की सहायता के ऐसी कलाकृतियां तैयार करते थे जिनका कोई समतुल्य उदाहरण नहीं मिलता।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि

1. जी.एच.ओझा : जोधपुर राज्य का इतिहास, भाग प्रथम, प्र.1-5, वैदिक मंत्रालय, अजमेर, 1938 ई.।
2. जी.एच.ओझा, पूर्वोक्त, पृ.3।
3. के.डी.एसकाइन : राजपुताना गजेटियर : भाग तृतीय (अ) प्र. 12, 1909 ई.।
4. ऋग्वेद 1.35.6 , राजस्थान थू द एजेज, दशरथ शर्मा (सं.),खंड-1,प्र.12, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर, 1966 ई.।
5. जगदीश सिंह गहलोत : मारवाड़ राज्य का इतिहास, पृ.2, हिन्दी साहित्य मन्दिर, जोधपुर, 1925 ई.।
6. आइने अकबरी: भाग-द्वितीय, पृ. 276, इम्पीरियल गजेटियर ऑफ़ इण्डिया, राजपुताना प्रोवेन्सियल सीरिज,पृ. 125।
7. मारवाड़ रा परगना री विगत,सं. नारायणसिंह भाटी, भाग-1, पृ. 390, 497।
8. मरदुम शुमारी राज मारवाड़।
9. पूर्वोक्त।
- 10.डॉ. बी.एल. गुप्ता ; ट्रेड एण्ड कॉमर्स इन राजस्थान, प्र. 24 |
- 11.कोतवाली चबूतरा जमाबन्दी बही नं. 754, परगना जालौर, वि.सं. 1834 (1777 ई.), जोधपुर जिला अभिलेखागार, जोधपुर।
- 12.कोतवाली चबूतरा जमाबन्दी बही नं. 753, परगना जालौर, वि.सं. 1833 (1776 ई.), जोधपुर जिला अभिलेखागार, जोधपुर |
- 13.पूर्वोक्त |



14. सनद परवाना बही संख्या 25, प्र. 259, वि.सं. 1838 (1781 ई.), जोधपुर रिकार्ड्स, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर ।
- 15.सोजत कोतवाली चबूतरा जमाबन्दी बही सं. 1831, वि.सं. 1844(1787 ई.), जोधपुर रिकार्ड्स, जोधपुर जिला अभिलेखागार, जोधपुर ।

